


FROM No.III

फर्ड अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत... सहायक क्लर्क (530) मुकाम... वापस
... हेरजीराम वंश बनाम... हरजीराम वंश
किस्म मुकदमा... य.अ. 111/28 LLR नं... 45/2021 सन्...

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.2.21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक को पेश हो।	
30/03/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी के नोटिस तामिल कंडम तामिल अज्ञात/ सीमान पीठानी अधिकारी का पद रिक्त होने से मिठाल इल्लवा डीडर आजागी दिनांक 24/06/21 को पेश की/की	 सहायक क्लर्क (SDO) बायलु
24/06/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी- वादी के नोटिस तामिल कंडम तामिल अज्ञात। सीमान पीठानी अधिकारी का पद रिक्त होने से मिठाल इल्लवा डीडर आजागी दिनांक 01/11/2021 को पेश की/की	



01/11/2021

पार्थी वहील उपस्थित। विपरीतगिरी के नोटिस लामिल कुडा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विभा गमा। सीमान पीठामीन अधिकारी प्रशासन जाँचो के संग अमिषान-2021 कुम्पो में व्यास्य होने से मिशाल इल्लवा डोडर आगासी दिनांक- 18/11/2021 को फेरा हो।

18/11/2021

पार्थी वहील उपस्थित। विपरीतगिरी अनुप। सीमान पीठामीन अधिकारी प्रशासन जाँचो के संग अमिषान-2021 कुम्पो में व्यास्य होने से मिशाल इल्लवा डोडर आगासी दिनांक- 30/11/2021 को फेरा हो।

30/11/2021

पत्रावली आज प्रशासन जाँचो के संग अमिषान-2021 कुम्पो गाम फेचायत डोमरीमा में रखी गई। पार्थी वहील उपस्थित। विपरीतगिरी अनुपस्थित। पार्थी के अधिकार की बढ़वा चुनी गई। पार्थी के अधिकारदार बलमा की पार्थी व विपरीतगिरी के घातेदार घेत सेवा सेठ माये हुए हो। पार्थी व विपरीतगिरी के घेतो के बिच जो पुरानी साठे व डोरो माये हुए थे जो वर्तमान में माधिमो की वजह से बिचर गये हो। जिनसे पार्थी को अपने घेत के सेठो डा सही ज्ञान नही हो पा रहा है। घेत के सेठो को लेडर पार्थी व विपरीतगिरी के मध्य हमेशा तनाजा बना रहला है। पार्थी को अपने घेत के सेठो डा सही ज्ञान करने हेतु नैयामवली डरवली आवेडन है। इसलिए पार्थी डा नैयामवली आवेडन स्वीडर विभा जाडर नैयामवली आवेडन विभा जावे।

अतः पार्थी अधिकार के निवेदन पर पार्थी डा नैयामवली आवेडन स्वीडर विभा जाडर लह-सीलडर बामडु को डमिवान व सम्बन्धित अनुपस्थित

31
सा.प्र.कलक्टर
(SDO) बायत

हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

निरिस्तुत हो सयायतु इमिशनर नियुक्त किया
जाइए सोइका डिमा जाला है कि प्राप्ती के ग्याते-
दारी ग्येतो ही पन्ही नैवामवैती मॉडि पर इमि-
शनर सुल्तु जमाइराइए इरे। पालना रिपोर्ट
उपत होने पर शामिल पञ्जावली हो पञ्जावली
मैमल कुमाए होइए इजि नम्बर से इम हो,
दाखिल दफतर हो। म

सहायक कलेक्टर
(S.D.O) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 /
प्रार्थी

1450

दिनांक:-

30/11/21

बनाम

विप्रार्थीगण

1. खेताराम पुत्र धन्नाराम वगैरा 3
जाति कुम्हार, निवासी खीपर
पटवार मण्डल खीपर
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. हरजीराम पुत्र तुलछाराम वगैरा 15
जाति कुम्हार, निवासी खीपर
पटवार मण्डल खीपर
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 45 / 2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - खीपर, पटवार मण्डल - खीपर, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 690/519, 692/519, 722/576 रकबा क्रमशः 0.9870 हैक्टर, 0.1861 हैक्टर, 4.3201 हैक्टर व मौजा- रीदूसर, पटवार मण्डल - खीपर, तहसील- बायतु के खेत खसरा नं. 187/8, 190/8 रकबा क्रमशः 0.8090 हैक्टर, 0.8090 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट प्रेष करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:-

30/11/21

क्रमांक / वाद / 2021 / 1401-5
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का खीपर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेताराम पुत्र धन्नाराम वगैरा 3
4. विप्रार्थी श्री हरजीराम पुत्र तुलछाराम वगैरा 15
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक वरिष्ठ
(SDO) बायतु